अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग

क्रमांक: एफ.5 (छ–29) कोष/ए.जी./वी.सी./2025–26/722-70 दिनांक: 14/05/2025

कोषाधिकारी,
समस्त।

विषय :– दिनांक 15.05.2025 को महालेखाकार कार्यालय के बोर्ड रूम में आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के संबंध में।

संदर्भ :– वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन) का पत्रांक को.नि.प्र./मीटिंग दिशा निर्देश/ अनुपालना/ के – 123/ 2025 – 26/ 10/46 दिनांक 13.05.2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 19.05.2025 से महालेखाकार कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कोषालयों एवं चयनित उपकोषालयों का निरीक्षण प्रारंभ किया जाना है तथा वर्ष 2024–25 में निरीक्षण किये गये कोषालयों का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाना है। उक्त निरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व **दिनांक 15.05.2025 को 4.00 बजे** महालेखाकार कार्यालय के बोर्ड रूम मे निदेशालय कोष एवं लेखा के प्रतिनिधियों तथा वर्ष 2025–26 के दौरान निरीक्षण किये जाने वाले सभी 49 कोषालयों के कोषाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें निरीक्षण के मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा होनी है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का लिंक इस कार्यालय की ई–मेल आईडी. ddt-ta-rj@nic.in द्वारा दिनांक 14.05.2025 को आपके कोषालय के Email पर प्रेषित कर दिया गया है।

अतः **दिनांक 15.05.2025 को** सायं 4.00 बजे आयोजित होने वाले वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आपकी उपस्थिति सुनिश्चित करे।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.5 (छ–29) कोष/ए.जी./वी.सी./2025–26/771-73 दिनांक 14/05/2025
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
2. अतिरिक्त निदेशक (कोष एवं बजट) एवं पदेन परियोजना निदेशक (आई.एफ.एम.एस.) /संयुक्त निदेशक (कोष) को मीटिंग में उपस्थित होने हेतु प्रेषित है।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

F:\OFFICE\PAC\letter .docx 186